



ग्रामोदय – हमारा संकल्प

सरपंचों और ग्राम पंचायत सचिवों के लिए
नवाचारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

30 नवंबर से 2 दिसंबर 2016
सीरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली




पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

Conclave of Sarpanches and Gram Panchayat Secretaries

Member- 2nd December 2016, Sirifort Auditorium, New Delhi

प्रवन्धन - 2 दिसम्बर 2016, सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली



ग्रामोदय- हमारा संकल्प

सरपंचों और ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नवाचारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

30 नवंबर से 2 दिसंबर 2016 तक

सीरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली

पंचायती राज मंत्रालय (एमओओपीआर) को संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार देश भर के स्थानीय स्व-शासन प्रणाली को मजबूत करने की देख-रेख करने का अधिदेश प्राप्त है। इस समय देश भर में 2.51 लाख पंचायतें हैं। इनमें 2.44 लाख ग्राम पंचायतें 6904 लाख प्रखंड पंचायतें और 589 लाख जिला पंचायतें शामिल हैं। इनके 29 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। संविधान में इन त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला प्रतिनिधियों सहित इनके नियमित निर्वाचन का प्रावधान है। संविधान के अनुसार ‘पंचायत’ राज्य विषय है और पंचायती राज मंत्रालय अपने कार्यक्रमों, राज्यों के साथ इनके समर्थन और पंचायती राज संस्थाओं के श्रेष्ठ कार्यों के प्रति जानकारी का सृजन और साझा कर पंचायती राज प्रणाली को बढ़ावा देता है।

चौदहवें वित्त आयोग अवार्ड के अनुसार ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली निधियों का प्रवाह बढ़ा है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों खासकर सरपंचों के स्थानीय स्वशासन के विभिन्न पहलुओं, नेतृत्व, विकास पहल और नवाचार के क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुनिश्चित हुई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों और अन्य हितधारकों के प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए विचार-विमर्श किया गया ताकि राज्यों में इसका अनुकरण करने के लिए एक मॉडल प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास किया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम प्रारूप का विकास किया गया जो न सिर्फ सूचनाप्रद और शैक्षिक हो बल्कि श्रोता फ्रेंडली भी हो। यह भी महसूस किया गया कि परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित श्रोताओं के संदेश का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने हेतु उचित संचारकर्ता और संचार उपाय तय किए जाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रभावी वक्ताओं के पैनल तथा मोड्यूल पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में प्रतिष्ठित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की सेवा ली जा सकती है।

इसके अनुसार जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, नोएडा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से देश के आठ राज्यों के सरपंचों और ग्राम सचिवों के नवाचारी क्षमता निर्माण का एक पायलट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण का प्रारूप तैयार किया गया। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं ड्रामा डिवीजन द्वारा तैयार लघु नाटक (नुक्कड़ नाटक) गीत, श्रेष्ठ कार्यों पर बनी लघु फिल्मों, ज्ञान प्रश्नोत्तरी और सफल सरपंचों के माध्यम से सूचना और संदेश का आदान-प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में इन सरपंचों द्वारा अपनी पंचायतों में बदलाव लाने के लिए तैयार पावर प्वाइंट प्रस्तुति भी पेश की गई। इनके अलावा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं से वार्ता भी की गयी।

ग्राम पंचायतों के लिए जवाबदेही और सेवा प्रदायगी उन्मुखी तीन दिवसीय कार्यक्रम ‘ग्रामोदय- हमारा संकल्प’ का आयोजन, नई दिल्ली के सीरी फोर्ट सभागार में 30 नवंबर से 2 दिसंबर, 2016 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आठ राज्यों के

पंचायती राज संस्थाओं के करीब 1000 निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम सचिवों ने हिस्सा लिया। ये ऐसे राज्यों से थे जहां हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे और प्रतिनिधियों के कार्यकाल का अभी काफी समय बचा हुआ था, जहां उनके द्वारा संबंधित क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है। भाग लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। इनके अलावा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडीज़) के निदेशक, राज्य सरकारों के अधिकारी, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र महिला, यूनीसेफ तथा कुछ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञों, संरक्षक संस्थानों के संकाय और श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों के सरपंचों और सचिवों ने नेतृत्व और प्रेरणा कौशल, जन भागीदारी, स्थानीय पहलों के लिए पहुंच, जल संरक्षण, अभिसरण की संभावना, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई—गवर्नेंस सहित सरकारी योजनाओं के बारे में सूचना देने पर जोर देने वाली प्रस्तुति पेश की। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता को समर्पित विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया। इस दौरान नीति आयोग द्वारा डिजिटल भुगतान मोड के लाभों को बताने के लिए भी सत्र का संचालन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

देश के आठ राज्यों के सरपंचों तथा पंचायत सचिवों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित करीब 1000 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।



इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्राम सचिवों की क्षमता बढ़ाना
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच नेतृत्व और जवाबदेही को बढ़ावा देना
- सरपंचों के बीच अपने अनुभव साझा करना
- श्रेष्ठ कार्यों के बारे में जानकारी साझा करना

कार्यक्रम का विषय:

सरपंचों के उन्मुखीकरण के लिए सांस्कृतिक यात्रा सहित आठ तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।

इन सत्रों के दौरान निम्न स्थानीय बिंदुओं जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया :—

- 1) नेतृत्व और प्रेरणा,
- 2) ग्राम पंचायत विकास योजना और महिला सशक्तिकरण,
- 3) स्वच्छता ,
- 4) लैंगिक सशक्तिकरण
- 5) पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन और ई—गवर्नेंस
- 6) नकदी से कम लेन—देन और डिजिटल भुगतान
- 7) सतत विकास लक्ष्य, और
- 8) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

इन सत्रों का संचालन कई संस्थानों के अनुभवी और विषयपरक विशेषज्ञों ने विभिन्न राज्यों से आए पुरस्कार विजेता सरपंचों के सहयोग से किया। इस कार्यक्रम के दौरान विषयपरक फ़िल्मों और नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया गया।





श्री जितेन्द्र शंकर माधुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत एवं संभाषण

यह आयोजन श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता), श्री परषोत्तम रूपाला, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री, विशेषज्ञों, वक्ताओं और राज्यों के सभी प्रतिनिधियों का सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वागत करने से शुरू हुआ।

सम्मेलन के उद्देश्यों को साझा करते हुए सचिव (पंचायती राज) ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं, जो हमारे अभिशासन के आधार हैं, को सुदृढ़ करने की जरूरत है ताकि पंचायतों, सरपंचों तथा कर्मियों द्वारा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का बेहतर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके और भागीदारी स्थानीय स्व-शासन के अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकें।

अपनी उद्घाटन टिप्पणियों में, सचिव (पंचायती राज) ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले सरपंचों के उनकी सफलता की कहानियों और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों, जिन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा दोहराया जा सकता है, से संबंधित महत्व के बारे में भी बताया।

इसके अलावा उन्होंने ऐसे मॉड्यूल्स और कैप्सूल्ज को विकसित करने की आवश्यकता बताई जो निम्नलिखित पदों में उनकी भूमिकाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए एकता स्तरों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण करने में सहायक हो।




श्री परषोत्तम रूपाला, केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री द्वारा प्रतिभागियों को संबोधन



श्री परषोत्तम रूपाला, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनन्दन किया। उन्होंने विचार व्यक्त किए कि चूंकि, वर्तमान सरकार गाँवों और गरीबों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ग्राम पंचायतों के महाराजाओं के लिए देश की राजधानी में आयोजित यह विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का एक प्रयास है।

ग्राम पंचायतों, विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं को मानते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने के लिए धन की जरूरत होती है।

एक सरपंच द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मिठाई का प्रबंध करने हेतु किए गए संघर्ष का एक पुराना उदाहरण साझा करते हुए, उन्होंने वर्तमान स्थिति, जब चौदहवें वित्त आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों को सीधे धन उपलब्ध कराया, पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि निधियों का सर्वोत्तम उपयोग करने और उन्हें उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों पर है।





श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा उद्बोधन

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने सरपंच प्रशिक्षण सम्मेलन कार्यक्रम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब केन्द्रीय स्तर पर पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

भागीदारीपूर्ण स्थानीय शासन में अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारी परंपरा में बड़ी गहराई से समाई हुई है। यहां तक कि आजादी और संविधान के गठन से पहले भी हमारे देश में विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए पंच परमेश्वर व्यवस्था हुआ करती थी।

उन्होंने कहा कि मानव संसाधन की गुणवत्ता बहुत आवश्यक है और इस परिप्रेक्ष्य में, पंचायतों को अपनी भूमिका निभाने और अधिक सही तरीके से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधानों/सरपंचों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों का गुणवत्तापूर्ण क्षमता निर्माण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए भी हर साल क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण देने की जरूरत पर अधिक बल देने की बात नहीं होगी। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण उनके कार्यभार संभालने के तुरंत छह महीने के भीतर हो जाना चाहिए और फिर अनुभव और शिक्षा के आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन दो साल के बाद किया जाना चाहिए ताकि जब वे अपना पद संभालें तो उनको प्रशिक्षण से मिली शिक्षा उनके काम में परिलक्षित हो।

इसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि अलग-अलग संस्थाएं साथ मिलकर काम करें और अपना योगदान करें। इसके लिए यूएनडीपी से संपर्क किया जाना चाहिए और गैर सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, कालेजों, एनआईआरडी एवं पीआर तथा एसआईआरडीजे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

मानव संसाधन का विकास थोड़ा कठिन और समय लेने वाला काम है लेकिन एक बार जब यह हासिल हो जाता है तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत दोनों इन पहलों को अपनाने में अपना योगदान देने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण मोड़यूल तैयार करते वक्त निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी पर ध्यान देने की जरूरत है।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने ग्राम पंचायतों को सीधे निधियों का आबंटन सुनिश्चित कर दिया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार विकास और बदलाव लाने को प्रतिबद्ध है। हिवरे बाजार ग्राम पंचायत का उदाहरण देते हुए उन्होंने अन्य सरंपतों से इसी तरह की अग्रणी भूमिका निभाने का अनुरोध किया।

मंत्री महोदय ने सरंपतों व कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को याद दिलाया और कहा कि ग्राम प्रधानों द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरंपतों का पारदर्शिता, ईमानदारी और निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने का आहवान किया। मंत्री महोदय ने प्रतिभागियों से भी गांवों में मानव संसाधन को विकसित करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया जिससे खुले में शौच को रोका जा सके, सभी बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिल सके, शत-प्रतिशत टीकाकरण हो सके और सभी पात्र व्यक्तियों का स्वास्थ बीमा आदि हो सके।



इस सत्र का समापन पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए.के. गोयल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।



तकनीकी सत्र-1 नेतृत्व और प्रेरणा

नेतृत्व और प्रेरणा पर जेपी विश्वविद्यालय, नोएडा के प्रोफेसर रजनीश मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। उनके विचारों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हितों से ऊपर हैं
- प्रभावी नेतृत्व के लिए जरूरी है कि कानूनों/नियमों का पालन किया जाए और न्याय किया जाए तथा नैतिक आचरण किया जाए
- पुरुष और महिला सरपंचों को आम लोगों पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए।
- सफलता और विकास के लिए कांति जरूरी है। और कांति के लिए— विजन, प्रतिबद्धता, संकल्प और कठोर परिश्रम जरूरी है।



- नेताओं की भूमिका दिशा निर्देशन, निगरानी, स्वच्छंद चेतना, लोगों की समस्याओं को सुनने और सही व्यवहार के इर्द-गिर्द घूमती है।
- विकास पानी की तरह ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर बहता है।
- विकास में वक्त लगता है। सरपंचों को विकास के बीज बोने चाहिए।

उत्तर प्रदेश के भतियाना ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती मधु ने अपने अनुभव साझा कर बताया कि उन्होंने कैसे जागरूकता एवं निगरानी के माध्यम से अपनी पंचायत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किया। उन्होंने इसके लिए स्थानीय इंटरमिडियट कालेज के छात्रों और करवा चौथ पर्व का सहारा लिया।



झारखंड के सकरियातन ग्राम पंचायत के श्री भूषण बरहा और यहां के ही श्री नमन टोपना ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी—अपनी पंचायतों के लिए अनौपचारिक समितियों एवं स्थायी समिति का गठन कर विकास की ओर ले गए। ग्राम पंचायतों द्वारा छोटे—मोटे विवादों का भी निपटारा किया गया।

सत्र :

विमुद्रीकरण और नकदी रहित लेन-देन

प्रतिनिधियों के लिए नीति आयोग ने विमुद्रीकरण पर एक सत्र का संचालन किया। इस सत्र में प्रतिभागियों को नकदी रहित लेन-देन की तकनीकी शिक्षा दी गई।

नीति आयोग के संयुक्त सचिव श्री विकम सिंह गौड़ ने डिजिटल भुगतान पर एक विस्तृत प्रस्तुति पेश की और नकदी रहित भुगतान के महत्व पर प्रकाश डाला।

नकदी रहित भुगतान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने निम्न बिंदुओं को रेखांकित किया:




- नकदी की निकासी और इसके जरिये लेन-देन करने की तुलना में नकदी रहित लेन-देन अधिक सुरक्षित और आसान है।
- भुगतान प्रणाली के विकास और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाता है, जबाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, लेन-देन की लागत को कम करता है और अनौपचारिक व्यवस्था को भी कम करता है।
- व्यापारियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र की सीमा से दूर-दूर तक ग्राहक आधार और संसाधन पूल को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करता है।
- पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है क्योंकि मुद्रा छपाई के लिए कागज की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए पेड़ कटने से बच जाते हैं।
- भ्रष्टाचार को रोकता है जिससे कुल मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस कारण ग्रामीणों का बेहतर विकास संभव हो पाता है।

उन्होंने इस मौके पर बैंक कार्ड हासिल करने, बैंक कार्ड को एक्टिवेट करने, पीओएस सेल प्लाइंट और कार्डों के उपयोग करने पर एक प्रस्तुति भी दी। साथ ही उन्होंने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) के लाभों के बारे में भी बताया। इसके जरिये पीओएस (बैंकिंग कॉरस्पांडेंट की मदद से) पर बैंक से बैंक लेन-देन की अनुमति है। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन के अन्य तरीकों की व्याख्या करते हुए, उन्होंने यूपीआई प्रणाली से पैसा भेजने की प्रक्रिया की भी चर्चा की।

श्री गौड़ और उनकी टीम ने मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान के विभिन्न विकल्पों का प्रदर्शन किया:

- यूपीआई आधारित एप्प: (i) इसे बैंक स्वयं एवं अपने साझेदार वितरक द्वारा जारी करता है, (ii) सभी तरह के संगत यूपीआई भुगतान समाधान को स्वीकार करता है, (iii) इस पर मोबाइल डाटा लागत लागू होती है, (iv) किसी तरह की मासिक रख-रखाव लागत नहीं लगती, (v) इस पर डेबिट कार्ड से लेन-देन से कम लागत आती है, (vi) नकदी का हस्तातरण उसी समय बैंक में हो जाता है जिस समय उसे भेजा गया है, (vii) आपको अपने स्मार्ट फोन पर इस एप्प को एक बार ही सेट अप करना होता है।
- मोबाइल वॉलेट: (i) इसे वॉलेट कंपनियां जारी करती हैं, (ii) इसके द्वारा लेन-देन की लागत पर केवल खरीदारों से भुगतान स्वीकार किए जाते हैं, (iii) इस पर मोबाइल डाटा लागत लागू होती है, (iv) किसी तरह का मासिक रख-रखाव लागत नहीं लगती, (v) कोई लेन-देन शुल्क नहीं लगता, (vi) इस पर कैश आउट शुल्क लगता है, (vii) नकदी का हस्तातरण जिस दिन भेजा जाता है उसके दूसरे दिन होता है, (viii) आपको अपने स्मार्ट फोन पर इस एप्प को एक बार ही सेट अप करना होता है।
- यूएसएसडी: *99#- (i) इसका संचालन एनपीसीआई करती है, (ii) यह किसी भी फोन/बैंक खाते से भुगतान स्वीकार करती है, (iii) इस पर कोई मोबाइल डाटा लागत नहीं लगती (iv) किसी तरह का मासिक रख-रखाव लागत नहीं लगती, (v) मर्चेंट को कोई लेन-देन लागत वहन नहीं करना पड़ता, (vi) उपभोक्ता को 50 पैसे एसेस फीस देनी होती है, (vii) नकदी का हस्तातरण उसी समय बैंक में हो जाता है जिस समय उसे भेजा गया है, (viii) किसी तरह के सेटअप की जरूरत नहीं होती— समय लेने वाली जटिल इंटरफेस है। हर बार लेन-देन के लिए विस्तृत विवरण दर्ज कराना जरूरी होता है।
- एम वीसा और मास्टरपास (व्यूआर कोड): (i) बैंक जारी करते हैं, (ii) अपने सभी सहायक बैंकों से भुगतान स्वीकार करती है, (iii) इस पर मोबाइल डाटा लागत लागू होती है, (iv) किसी तरह का मासिक रख-रखाव लागत नहीं लगती, (v) इस पर लेन-देन लागत लागू होती है (vi) नकदी का हस्तातरण जिस दिन भेजा जाता है उसके दूसरे दिन होता है, (vii) आपको अपने स्मार्ट फोन पर इस एप्प को एक बार ही सेटअप करना होता है।



तकनीकी सत्र 2 : जीपीडीपी और महिलाओं का सशवितकरण

जीपीडीपी:

सत्र जीपीडीपी पर एक नुककड़ नाटक के साथ शुरू हुआ जिसमें विकास, लोगों की भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीकों तथा राजस्व के स्त्रोतों संबंधी मुद्दों पर जोर दिया गया।

नाटक का समापन एक आशावादी स्थिति के साथ हुआ जिसमें लोगों ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भागीदारीपूर्ण विकास योजना में अपना विश्वास व्यक्त किया और सरपंचों को स्वैच्छिक श्रम तथा अपने संसाधनों दोनों के माध्यम से सहायता देने की पेशकश की।



ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका :

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका के बारे में प्रोफेसर अलका शर्मा द्वारा पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण का प्रयोग करके भागीदारीपूर्ण भाषण के तरीकों से एक सत्र आयोजित किया गया।

पांच प्रमुख मुद्दों को उठाया गया था और विचार विमर्शपूर्ण यह सत्र प्रमुख प्रश्नों के इर्द गिर्द केन्द्रित रहा था। इन प्रश्नों को मंच पर अन्य वक्ताओं से पूछा गया था। विश्लेषण के केन्द्रीय बिन्दु इस प्रकार थे –

- एक सशक्त पंचायत के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी क्यों आवश्यक है ?
- क्या महिलाएं पुरुषों की तरह सरपंच बनने के लिए सक्षम हैं?
- क्या महिलाएं निर्णय लेने में सक्षम हैं ?
- क्या केवल महिलाएं अथवा पुरुषों भी ग्राम पंचायत के वित्तीय मामलों को समझने में चुनौतियों का सामना करते हैं ?
- महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है ?



इस विषय के सभी विशेषज्ञों और वक्ता सरपंचों से प्राप्त उत्तरों से महिलाओं के क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर सहमति दिखाई गई और ग्रामीण स्व-शासन में पुरुषों के समान योग्य नेताओं के रूप में महिलाओं के कौशल और उनकी योग्यताओं की पुष्टि की गई है ।

इस बात पर बल दिया गया कि महिलाओं को अभी शासन के मामलों में निर्णय लेने तथा लैंगिक भेद भाव, निरक्षरता, महिलाओं के प्रति हिंसा, घटते लिंगानुपात तथा महिलाओं की सुरक्षा आदि जैसे गांव में प्रचलित लैंगिक मुद्दों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आवश्यकता है ।

लैंगिक मुद्दों का समाधान करने में पुरुशों की सक्रिय भागीदारी तथा ग्राम विकास आयोजना तथा अभिशासन में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था ।

सत्र महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के इस संदेश के साथ समाप्त हुआ कि बालक और बालिकाओं दोनों की अगली पीढ़ियां स्वस्थ पैदा हो तथा शिक्षित माताएं अपने बच्चों की आगे और अच्छी शिक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं । इससे अंततोगत्वा एक स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र का निर्माण होगा ।



तकनीकी सत्र 3: स्वच्छता (पेयजल एवं स्वच्छता)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से श्री अक्षय राउत, विशेष कार्याधिकारी ने निम्नलिखित की आवश्यकता और उपलब्धियों के संबंध में विचार व्यक्त किए :—

- शौचालयों के निर्माण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उनका तत्काल उपयोग करना शुरू करने की आवश्यकता है।

लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हैं जो खुले में शौचमुक्त स्थिति प्राप्त करने से हमें रोक रही हैं। हमें इन कठिनाइयों पर काबू पाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए सरपंच उपयुक्त व्यक्ति हैं। यदि वह निर्णय करता/करती है, तो कोई भी हमें शौचालयों के उपयोग की उपलब्धियां प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है और समग्र स्वच्छता प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त समय है।

डॉ. पूरन सिंह, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान ने अंत में खुले में शौच करने संबंधी मामलों तथा इसे कम करने की तात्कालिकता तथा प्रधानमंत्री के स्वच्छता संबंधी सुधारात्मक प्रयासों के बारे में बताया, जैसे कि :—

खुले में शौच करना अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक चुनौती है जिसका हमारे राष्ट्र को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करती है जिसके बदले में, दूरगामी और दीर्घअवधि के आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

यह पहला अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता को उच्चतम प्राथमिकता दे रहे हैं। केवल अधिकारीगण, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि जनता और निर्वाचित प्रतिनिधि शौचालयों के प्रयोग अथवा गैर प्रयोग से अत्यधिक प्रभावित होंगे।

लगभग 80 प्रतिशत रोग खुले में शौच करने की वजह से हैं और पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 4.5 लाख बच्चे स्वच्छता के घटिया स्तर के कारण प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। अनियंत्रित खुले में शौच करने की वजह से उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों के कारण प्रतिदिन 328 बच्चे मर जाते हैं।

खुले में शौच करने की वजह से उत्पन्न रोगों के इलाज पर हम लगभग 3 लाख करोड़ रुपए वार्षिक रूप से खर्च करते हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

महिलाएं और बालिकाएं खुले में शौच के लिए बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा का जोखिम लेती है। हमारे देश में लगभग 27 प्रतिशत बलात्कार सुबह और शाम को होते हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को परिवर्तन लाने के लिए समुदाय को आगे ले जाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि खुले में शौच मुक्त(ओडीएफ) स्थिति में कोई कमी नहीं आए।



दूसरा दिन

प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के महत्व के इर्द-गिर्द धूमता / केन्द्रित रहा। पूरे देश के प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की अभिसारिता के बारे में अवगत कराया गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से श्री के.बी. सिंह ने विभिन्न योजनाओं की अभिसारिता और मंत्रालयों द्वारा कुपोषण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के बारे में जोर दिया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के निम्नलिखित मुख्य मुद्दों तथा उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिकाओं के बारे में बताया :



14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसीज़) में से इस समय लगभग 13.5 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। लेकिन, इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में से अनेक केन्द्रों के पास अपने भवन, शौचालय और अन्य सुविधाएं नहीं हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने अभिसारिता का एक फ्रेमवर्क विकसित किया है जिसमें मनरेगा, चौदहवें वित्त आयोग और आईसीडीएस से निधियां अभिसारित होंगी और उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण, शौचालयों के निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायतें आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए स्थलों के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

- इन मुद्दों का ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से समाधान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अनपूरक भोजन/मिड डे मिल्स की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए माताओं की समिति को सक्रिय बनाना।
- पंचायती राज संस्थाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दिए जाने वाली सेवाओं पोषाहार/तैयार भोजन, घर ले जाने वाला राशन, टीकाकरण, बच्चों के विकास की निगरानी करना) की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए।
- बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग करने सहित बाल कुपोषण जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- ‘बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ’ की धारणा को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलाप किए जाने चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

गरीबी उन्मूलन, आजीविका को बढ़ावा देने, सभी के लिए ग्रामीण संपर्क और आवास एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी प्रथमिकता वाले सेक्टरों को हल करने के मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों पर मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री मनोरंजन कुमार ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि अधिकांश ग्रामीण परिवारों के गरीबी का मूल कारण उनका भूमिहीन होना एवं कृषि कार्यों से होने वाली आय पर पूरी तरह निर्भरता है। श्री कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2016–17 के दौरान गरीबी से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए अपने निम्न बड़े कार्यक्रमों के जरिये 86000 करोड़ रुपए खर्च करेगा :



- हर मौसम में सड़क संपर्क में सुधार लाने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- सभी को आवास सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
- ग्रामीणों को रोजगार सुनिश्चित करने वाली मनरेगा (एमजीएनआरईजीए)
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- एसएचजीज़ की लामबंदी के जरिये गरीबों के लिए आजीविका को बढ़ावा देने की दीन दयाल अंत्योदय योजना—एनआरएलएम (डीएवाई—एनआरएलएम)

श्री कुमार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के समर्पित कार्य व्यवहार को भी श्रोताओं के साथ साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 5 लाख तालाबों का विकास और 10 लाख कार्बनिक उर्वरक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुभव के आधार पर 'पंचायत दर्पण' नाम से एक निगरानी प्रणाली का विकास किया है। पंचायतों की प्रगति पर आवधिक नजर रखने के लिए 'पंचायत दर्पण' के तहत मंत्रालय द्वारा विकसित मापदंडों का प्रयोग किया जाएगा।

ग्रामीण विकास के लिए दस सूत्री या ग्राम पंचायत — एसएचजीज़ साझेदारी पर बल दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को एसएचजीज के गठन को बढ़ावा, विभिन्न योजनाओं(एनएसएपी, मनरेगा, शौचालय निर्माण आदि) के तहत मिलने वाले अधिकारों तक गरीबों की पहुंच में सुधार, उनकी भागीदारी और गरीबी की समस्या को हल करने को सुनिश्चित करने के लिए महिला सभाओं का संचालन करना चाहिए। साथ ही वित्तीय समावेशन को समाहित करने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जन-धन खातों को आधार संख्या से जोड़ने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री कुमार ने निम्न के माध्यम से 'सुशासन फेमवर्क' को अपनाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर बल दिया:

- आधार पर आधारित लाभपात्रों की पहचान
- एसईसीसी और ग्राम सभाओं के जरिये अधिकारों की योग्यता की पुष्टि
- ई—गर्वनेंस, जीआईएस / रिमोट सेंसिंग और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जवाबदेही को सुनिश्चित करना
- कम नकदी प्रयोग होने वाले आर्थिक लेन—देन के लिए बदलाव को बढ़ावा देना

उन्होंने सरपंचों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विकसित विभिन्न तरह के मोबाइल एप्प का प्रयोग करने का अनुरोध किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)

संविधान की 11 अनुसूची के अनुसार पंचायतों को स्वास्थ्य संबंधी दिए गए कार्यों की विषय वस्तु का वर्णन करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति पेश की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) में पंचायतों को दिए गए निम्न कार्यों पर उन्होंने बल दिया:

- विकेन्द्रीकृत सोच के साथ स्वास्थ्य योजना बनाना
- स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना
- ग्राम पंचायत स्थायी समिति का गठन कर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी का निरीक्षण
- आशा, वीएचएसएनसीज़, वीएचएनडी और एडब्ल्यूसीज़ को समर्थन देना और उनका पर्यवेक्षण करना
- ग्राम सभा की मदद से आशा कर्मियों का चयन
- जिला स्वास्थ्य मिशन और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का समर्थन देने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
- जिला एवं प्रखंड स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति में पंचायती राज संस्थाओं का मजबूत प्रतिनिधित्व जिलों की रोगी कल्याण समितियों, सीएससीज़ और पीएचसीज़ में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया
- वीएचएनसी (सालाना ₹10000) को एकिटवेट करना। महिला संरपंच वीएचएनसी की अध्यक्ष होती हैं। कुल 5 लाख वीएचएनसी की स्थापना की गई है। किसी वीएचएनसी में कम से कम 15 सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य उप-केंद्रों को 10000 रुपए दिए गए हैं जिसे सरपंच और एनएम द्वारा संयुक्त रूप से खर्च किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की सामुदायिक निगरानी

छत्तीसगढ़ द्वारा बुनियादी सवालों से संबंधित विकसित सार्वजनिक सेवा निगरानी टूल का भी प्रदर्शन किया।



जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोधार मंत्रालय के केन्द्रीय भूजल बोर्ड(सीजीडब्ल्यूबी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री ए.के. सिन्हा ने जल संरक्षण और जल स्रोतों के प्रबंधन के मुद्दों पर बल दिया क्योंकि हमारे देश में पानी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने निम्न उपायों के माध्यम से जल संसाधनों का प्रबंधन करने के बारे में बताया:

आपूर्ति पक्ष प्रबंधन

- विभिन्न प्रणालियों से जल पुनर्भरण
- वर्षा जल का दोहन/रेन वॉटर हारवेस्टिंग
- जल संरक्षण

मांग पक्ष का प्रबंधन

- जल के उपयोग का प्रबंधन
- उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर जल आयोजना
- फसल पद्धति का प्रबंधन
- कृषि कार्यों के लिए पंपों के प्रयोग के लिए बिजली की कीमतों में रियायत देने पर रोक
- उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जल संसाधनों का सख्त प्रबंधन
- किसानों की भागीदारी से सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम
- उपर्युक्त सभी मुद्दों पर समुदायों को शामिल करना।



तीसरा दिन

तीसरे दिन लोगों, सरकार और विभिन्न संगठनों तथा शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा साझा किए गए वास्तविक जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और अन्य अनेक संबंधित व्यक्तियों ने मंच की शोभा बढ़ाई तथा अपने अनुभवों को साझा किया। इस चर्चा सत्र में भविष्य के आगामी रास्तों के लिए सुझाव भी दिए गए। जेपी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा साझा किए गए अनुभव पर एक शिक्षाप्रद सत्र आयोजित किया गया। वक्ता ने स्पष्ट किया कि विकास की अवधारणा को केवल उद्योगों और बाजारों के विकास से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली से निकटता से संबंधित है। उन कारणों जिनसे मानसिक शांति में कमी आती है, और उदासी के कारणों की पहचान करना धन की कमी, सम्मान की कमी अथवा अपनेपन की भावना की कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान किए जाने की आवश्यकता है।

किसी गांव के विकास के लिए सूचना रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है। प्रत्येक गांव का कुछ इतिहास, परम्परा, संस्कृति होती है और ग्राम पंचायतों को वेबसाइटें सृजित करने पर पहले करनी चाहिए जहां वेबसाइटों में ग्राम पंचायत—विशिष्ट सूचना प्रदर्शित कर सकते हैं।

दरभंगा, बिहार से सरपंच

पिछड़े क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ने बीआरजीएफ को लागू करने का अनुरोध किया। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन अपेक्षित होते हैं। ग्राम पंचायतों को निधियों का समय से आवंटन वास्तव में जरूरी है। मॉडल पंचायतों, के समीप शिक्षा, स्वच्छता, तकनीकी कॉलेज, उप—स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होती है। डिजिटल इंडिया केवल तभी संभव होगा जब वहां शिक्षा होगी। मनरेगा के अंतर्गत भुगतान नियमित आधार पर होना चाहिए। नौकरशाही अनेक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। यह बाधा पहुंचाने वाला एक कारक है। कोई ग्राम पंचायत उस भूमि पर एक आंगनवाड़ी का निर्माण करना चाहती थी जो ग्राम पंचायत से थोड़ी दूरी थी, लेकिन इसके लिए अनुमोदन नहीं मिला। इसलिए उसका निर्माण नहीं किया जा सका। मनरेगा के अंतर्गत निधियां अनियमित हैं और एफएफसी अनुदान के अंतर्गत निधियां उचित रूप से नहीं आ रही हैं। नियमों और विनियमों को सरल बनाने की जरूरत है।

हिमाचल प्रदेश से सरपंच

इस भागीदार, एक महिला प्रतिनिधि ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बातचीत की। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं को स्वतंत्र होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने आप को सजग बनाना चाहिए। उनकी ग्राम पंचायत में घरेलू हिंसा पर ध्यान दिया गया था। उनकी ग्राम पंचायत में ‘बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ’ को क्रियान्वित किया गया है। जब कोई बालिका पैदा होती है तो ग्राम पंचायत द्वारा उसका स्वागत किया जाता है।

श्रीमती अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले दिन के सत्र के क्रम को जारी रखते हुए कहा कि पिछले दिन मनरेगा के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गए थे, जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। मनरेगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इस सरकार ने मनरेगा के लिए बजट में वृद्धि की है। पिछले वर्ष मनरेगा के अंतर्गत निधियां भेजने में विलंब हुआ था। मनरेगा के अंतर्गत अनेक परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं। इस कार्यक्रम को निष्पादित करने में सरपंचों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। निधियां भेजने में देरी हो सकती है, लेकिन ग्राम पंचायतों को उनका देय हिस्सा दिया जाएगा। निधियों का प्रवाह किस प्रकार होता है, यह समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निधि प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है और धन सीधे नरेगा श्रमिक को जाएगा। निधि हस्तांतरण आदश इस प्रणाली के माध्यम से सृजित होता है। नरेगा के अंतर्गत कार्य का न्यूनतम 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय विलंबित भुगतान के लिए उपाय कर रहा है। उसके लिए यह जानने की जरूरत है कि नरेगा के अंतर्गत निधियों का उचित रूप से उपयोग किया जाता है। भविष्य में नरेगा के अंतर्गत निधियां बढ़ायी जाएंगी। नरेगा के अंतर्गत योजना को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए।



संयुक्त सचिव ने कहा कि नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, भूमि और वृक्षों से संबंधित कार्य किया जाना चाहिए।

श्री जे.एस. माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

सचिव ने पिछले सत्र का सार बताते हुए कहा कि पिछले तीन दिनों से हम अनेक बातों पर चर्चा कर रहे हैं। यहां प्रतिभागियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य परिपूर्ण नहीं हैं। उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। चुनौतियां सब जगह हैं। दूसरों से आगे निकलने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ग्रामीणों में विश्वास सृजित करने की जरूरत है। हमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहायता लेने की जरूरत है, ताकि हम क्षमता निर्माण शुरू कर सकें। अनेक सरपंचों ने अपने अनुभव साझा करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन समय के अभाव में यह संभव नहीं था, परन्तु इन तीन दिनों की कार्यशाला के अनुभवों से व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है।

जेपी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने सत्र का समापन किया और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।



माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समापन सत्र को संबोधित किया और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयासों के उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस किया गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पंचायतों के विकास की बहुत सारी पहलें कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपने काम शुरू करने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहीं तो वे इन चुनौतियों का सामना करना सीख जाएंगे। कभी — कभी निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ बहुत सारी चुनौतियों के कारण हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह की वार्ताएं होती रहनी चाहिए जिससे वे एक—दूसरे से बातचीत कर सकें और विकास कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर सकें। इसलिए इस कार्यशाला में लोगों की सफलता की कहानियां साझा की गईं।



सरपंचों को मनरेगा से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से दो—चार होना पड़ता है। मनरेगा को सुदृढ़ करने के लिए पहल की गई है। इस योजना के तहत आवंटित निधि भी बढ़ा दी गई है। सरपंच ग्राम पंचायतों का नेतृत्व करते हैं और पंचायतों के विकास के लिए बहुत तरह की पहलों को शुरू करने की उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। दूसरी पंचायतों को आदर्श पंचायत हिवारे बाजार का अनुकरण करना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सरपंचों को दृढ़ संकल्प और सक्रिय मनोभाव वाला होना जरूरी है।

राजस्थान से आए एक सरपंच ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय को पहल करनी चाहिए और मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

हरियाणा से आए एक सरपंच ने कहा कि पंचायतों में पहले 18 साल से कम उम्र की शादियां हुआ करती थीं लेकिन इस संदर्भ में पर्याप्त कदम उठाए जाने के बाद अब इस मामले में काफी बदलाव आया है। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथापि दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, यह कि ग्राम पंचायतों को उच्च अधिकारियों की बिना अनुमति के एक तय राशि से अधिक राशि खर्च करने का अधिकार नहीं है। खर्च करने की इस उच्चतर सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे प्रचायतें उचित विकास कार्य करा सकें। दूसरी, यह कि सरपंचों को पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी वित्तीय असुरक्षा को कम कर अपने कार्यों पर ध्यान दे सकें।

महाराष्ट्र के हिवरे बाजार पंचायत के प्रतिनिधि श्री पोपटराव पवार ने अपने विचार रखते हुए बताया कि हमारी इस पंचायत में सूखे की समस्या थी।

अधिकांश लोग गरीबी के शिकार थे जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर—बसर कर रहे थे। अब पंचायत में पूरे विकास के कार्य किए गए हैं। इसी का परिणाम है कि आज इस समय पंचायत में एक भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन—बसर करने वाला नहीं है। जल संरक्षण और जल अंकेक्षण के माध्यम से जल की समस्या को हल कर दिया गया है।

सभी योजनाओं को बड़े पैमाने पर विकास शुरू करने हेतु अभिसारित कर दिया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक मॉडल ग्राम पंचायत हो सकती है यदि



वे उचित रूप से योजना बनाएं और उन्हें कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करें। लेकिन, ग्राम पंचायतों को निधियों के साथ तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और उन्हें विकास प्रक्रिया शुरू करने में अनुसक्रिय होने की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत सचिव, मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति पर प्रकाश डाला। वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश में पंचायत दर्पण शुरू किया गया था। सभी ग्राम पंचायतें इलैक्ट्रानिक्स हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से धन प्राप्त कर रही हैं। ऐसी प्रणाली सब जगह शुरू की जा सकती है और उसके बाद ग्राम पंचायतों से संबंधित सभी सूचना को डिजीटाइज किया जा सकता है।

श्री सुजीत कुमार, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत, अमरेली, गुजरात ने कहा कि समग्र विकास केवल तभी संभव हो सकता है, जब ग्राम पंचायतें अपने कार्मिकों के साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें।

बिहार राज्य से आये सरपंच राज्य की प्राथमिकता के बारे में बोले और कहा कि उनकी ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त बन गई है। पूर्व में खुले में शौच करने की वजह से इस ग्राम पंचायत में बार-बार सभी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे उठते थे। सभी ग्रामीणों को यह सूचित कर दिया गया है कि यदि वे शौचालय का निर्माण नहीं करेंगे तो उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा कोई विकास संबंधी लाभ नहीं दिया जाएगा।



सरपंच राजस्थान ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में विकास से संबंधित सभी कार्यों को करते हुए एक मॉडल ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया है। कार्यान्वयन के दौरान एआरओ के माध्यम से उचित ड्रेनेज प्रणाली, कंक्रीट की सड़कों, जल आपूर्ति की शुरूआत की गई थी।



पंचायती राज मंत्रालय की ओर से श्री ए.के. गोयल, अपर सचिव, एमओपीआर ने प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया।



निष्कर्ष

एक बहुत सफल कार्यशाला ने देश भर से एक जैसे विचारों वाले हितधारकों, प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को एक साथ इकट्ठा किया। विभिन्न मंत्रालयों के संसाधन व्यक्तियों, सरपंचों, सचिवों तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि एक साथ इस कार्यशाला में आए और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहद सफल बनाया।

यह कार्यक्रम एक 3-दिवसीय कार्यशाला थी जिसका समापन अंतिम सत्र में हुआ, लेकिन विचार-विमर्श किए गए और दिमागी कसरत किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा अपने संबंधित राज्य और ग्राम पंचायत में ले जाया गया।

विकास एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्य करने के ऐसे विकासोन्मुखी मॉडल के प्रयासों और इरादों को एक साथ अभिव्यक्ति और चर्चा के उनके उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं।

